न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./3243/2005/सवाई माधोपुर

1- कैलाश पुत्र जगन्नाथ
2- राधे पुत्र जगन्नाथ
3- रमेश पुत्र जगन्नाथ
4- मु0 मनभर पुत्री जगन्नाथ
5- मु0 रामपति पुत्री जगन्नाथ पत्नी चिरंजी
समस्त जाति मालियान, निवासीगण आलनपुर
तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
6- मु0 नरबदा पुत्री जगन्नाथ पत्नी बजरंगा
जाति माली निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार
जिला सवाई माधोपुर
7- मु0 बजरंगी पत्नी जगन्नाथ जाति माली निवासी
आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
8- रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति माली
9- श्रीमती बिरजी पत्नी जंशी जाति माली
10- अशोक पुत्र जंशी जाति माली
11- संतरा पुत्री जंशी) नाबालिग जरिये कुदरती वलिया
12- सुरेश पुत्री जंशी) माता बिरजी बेवा जंशी
समस्त निवासीगण आलनपुर तहसील व जिला
सवाई माधोपुर।

............अपीलार्थीगण

बनाम

1- राजेश चौहान पुत्र रणवीर सिंह जाति राजपूत
निवासी मानटाउन सवाई माधोपुर तहसील व
जिला सवाई माधोपुर।
2- राजस्थान सरकार।

...........प्रत्यर्थीगण

खण्ड-पीठ
श्री मोडू दान देथा,सदस्य
श्री राकेश कुमार जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः– 13 जुलाई, 2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 242/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-5-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या-1/वादी ने अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायाालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष दावा बाब्त घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश होने पर दावा एवं जवाबदावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल 5 तनकीयात कायम की गई। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09-09-2003 से वादी का वाद राजीनामा दिनांक 27-10-1996 के मुताबिक स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या-1/वादी राजेश को वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 1442 रकबा 1 बिस्वा, 1443 रकबा 13 बिस्वा, 1444 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार घोषित करने का आदेश दिया साथ ही अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 1/1 से 1/7, 2, 3/1 से 3/4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वे वादी की उक्त आराजियात में किसी प्रकार की मजाहमत मदाख्लत न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें। साथ ही वादी को भी पाबंद किया कि वह प्रतिवादी की आराजी खसरा नंबर 1457 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम

आलनपुर में किसी प्रकार की मदाख्लत नहीं करें। वादी के पक्ष में उक्त डिक्री पारित किये जाने के उपरांत भी अपीलार्थी/वादी राजेश ने ही न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की कि परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या-4 के संबंध में दिया गया निर्णय पारित करने में भूल की है। तनकी संख्या 1 ,2, 3 वादी के पक्ष में तय की है किन्तु तनकी संख्या 4 के विषय में इसी हद तक अपील प्रस्तुत की है। अतः तनकी संख्या 4 की हद तक परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 09-9-2003 निरस्त किया जावे तथा वादी को जो खसरा नंबर 1457 के लिए पाबंद किया है, उसे निरस्त किया जावे। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12-4-205 द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 1442, 1443, 1444 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया तथा मुताबिक मौका रिपोर्ट दिनांक 25-9-2002 तथा 02-12-1997 खसरा नंबर 1457 बाबत् वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाख्लत नहीं करने के लिए प्रतिवादीगण को पाबंद किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस सुनी। प्रत्यर्थी बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में निर्णित करने हेतु कुछ शेष नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जिस प्रकार अपना वाद पेश किया एवं दादरसी चाही, वह परीक्षण न्यायालय द्वारा उसे प्रदान कर दी गई थी। वादी रेस्पो संख्या 1 को खसरा नंबर 1442, 1443, 1444 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को उसमें मदाखलत मजाहमत करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया तथा खसरा

नंबर 1457 जिसके कि अपीलार्थीगण खातेदार है, के बाबत वाद को उनके कब्जे काश्त में मदाखलत नहीं करने के लिए आदेश पारित किया। परीक्षण न्यायालयय ने अपने निर्णय में उक्त खसरा नंबर 1457 पर इसलिए वादी को पाबंद किया क्योंकि वह प्रतिवादीगण से उक्त खसरा नंबर हड़पना चाहता है, जो कि एक न्यायोचित आदेश था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पेश नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर वादी-प्रत्यर्थी की इच्छा की पूर्ति कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय को वाद के पिथ एवं सब्सटेंस व जवाबदावा के आधार पर निर्णित वाद के निर्णय को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील भी संधारण योग्य नहीं थी। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि नगर परिषद सीमा में आ चुकी है जिस बाबत वादी, वाद राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता था, ना ही राजस्व न्यायालय को नगर परिषद सीमा में आई भूमि बाबत् वाद सुनने का अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर अपना कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथा उप जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-9-2003 यथावत रखा जावे।

5- हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6- उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-9-2003 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी राजेश चौहान को खसरा नंबर 1442, 1443, 1444 कुल रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा उक्त आराजियात में किसी प्रकार की मजाहमत मदख्लत न करने हेतु पाबंद किया। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी/वादी को भी तनकी संख्या-4 का निर्णय करते हुए

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद किया कि वह अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नंबर 1475 में मदाख्लत नहीं करें।

7- प्रत्यर्थी/वादी राजेश चौहान द्वारा तनकी संख्या-4 के विषय में एवं इसी हद तक अपील पेश की गई थी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 12-5-2005 द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 09-9-2003 में जो तनकी संख्या-4 का जो निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया था, उसे अपास्त किया तथा खसरा नंबर 1442, 1443, 1444 के बाबत् उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-9-2003 को यथावत रखा तथा अपीलार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को पाबंद किया कि के मुताबिक मौका रिपोर्ट दिनांक 25-9-2002 एवं 02-12-1997 वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें।

8- राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1457 अपीलार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका प्रत्यर्थी/प्रतिवादी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा तनकी संख्या-4 के बाबत् उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय को अपास्त करने का समुचित आधार प्रदर्शित नहीं किया है। इस संबंध में यह भी उल्लेख है कि तथाकथित राजीनामा के आधार पर अपीलार्थी का खसरा नंबर 1457 की भूमि से टिनेनन्सी समाप्त नहीं मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या-4 का जो निर्णय अपीलार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया था, उसे इस आधार पर अपास्त किया है कि प्रतिवादी का कोई प्रतिवाद अधीनस्थ न्यायालय में इस बाबत् पेश नहीं किया है। अतः किसी प्रकार का परितोष भी देय नहीं था तथा प्रश्नगत आराजी खसरा नंबर 1457 बाबत् मुताबिक मौका रिपोर्ट दिनांक 25-9-2002 एवं 02-12-1997 अपीलार्थी/प्रतिवादी को प्रत्यर्थी/वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करने बाबत जारी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। रिपोर्ट के अवलोकन

से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 457 अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका प्रत्यर्थी से कोई संबंध नहीं है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 के बाबत् निष्कर्ष को बिना किसी समुचित आधार के खारिज किया गया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

9- परिणामतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-5-2005 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09-9-2003 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
सदस्य

(मोडू दान देथा)
सदस्य